प्रपत्रः—8

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

(लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) केम्पः— अटल सेवा केन्द्र,नाकोड़ा)

प्रकरण सं:— 123/2018

क्रमांकः—लो.अदा./2018/2745

दिनांकः—19.6.2018

आदेश

वादी श्री जालमसिंह पुत्र कानसिंह जाति राजपूत निवासी गेहूवाली नाडी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर की ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशंय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम गेहूंवाली नाड़ी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 224 व 240 कुल रकबा 54—13 बीधा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 183,185,201,225,228,239,246 कुल रकबा 221—05 बीधा भूमि मेरे पिता काना की संयुक्त खातेदारी की आई हुई थी। मेरे पिता के फौत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण में धेरलू बोलाचल भाषा में मेरा नाम सांगा दर्ज कर दिया गया। जबकि मेरा वास्तविक नाम सांगा न होकर जालमसिंह है। अतः वादग्रस्त भूमि में सांगा के स्थान पर जालमसिंह दर्ज किया जावें।

वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी के वादपत्र की जांच रिर्पोट तहसीलदार सिणधरी से तलब की गई। वादग्रस्त भूमि के खातेदार वादी जालमसिंह,नागसिंह एवं श्री छेलसिंह व उमसिंह के संयुक्त बयानात कलमबद्व कर शामिल मिसल किये गये।

तहसीलदार सिणधरी की रिर्पोट के अनुसार वादग्रस्त भूमि पैतृक संयुक्त खातेदारी भूमि है,वादी के पिता वादी के पिता काना का देहानत होने पर ग्राम सिणधरी चारणान के नामान्तकरण संख्या 70,183 द्वारा वादी के नाम दायर किये गये। जबकि वास्तविक नाम जालमसिंह है, व पत्रावली संलग्न सरकारी दस्तावेज यथा—वोटर कार्ड,परिवार राशन कार्ड,आधार कार्ड,भामाशाह कार्ड,बैक डायरी,आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड में वादी का सही नाम जालमसिंह पुत्र कानसिंह दर्ज है। एवं वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार वादी स्वंय,वादी का सगा भाई मांगसिंह एवं सहखातेदार श्री छेलसिंह व उमसिंह ने अपने बयानों में स्वीकार किया गया है,कि वादी के पिता कानसिंह के फोत होने पर भरे गये विरासत के नामान्तकरण में भूलवंश सांगा नाम दर्ज किया गया। जबकि वास्तविक नाम जालमसिंह है। वादग्रस्त भूमि में सांगा के स्थान पर जालमसिंह पुत्र कानसिंह दर्ज किया जाता है। तो हम सहमत है,हमें कोई आपर्ति नहीं है। एवं तहसीलदार सिणधरी द्वारा अपनी समग्र जांच रिर्पोट में वादग्रस्त भूमि में काना के स्थान पर जालमसिंह दर्ज किये जाने की अनुशंषा की गई है।

लिहाजा वादी का वाद राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम ग्राम गेहूंवाली नाडी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 224 व 240 कुल रकबा 54—13 बीधा एवं इसी ग्राम की खसरा संख्या 183,185,201,225,228,239,246 कुल रकबा 221—05 बीधा भूमि के राजस्व रिकॉर्ड(जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि सांगा पुत्र काना के स्थान पर सांगा उर्फ जालमसिंह पुत्र कानसिंह दर्ज किये जाने के आदेश पारित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner

क्रमांकः–लो.अदा. / 2018 / 1746-48 दिनांकः–19.6.18

प्रतिलिपिः–

1. तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है,कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना से रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री सांगा उर्फ जालमसिंह पुत्र कानसिंह निवासी गेहूंवाली नाड़ी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर,सिणधरी

Scanned by CamScanner